

iii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश में गर्भक्षेत्र जिसके पूर्वाधार के लिए उपयोग किया जा सकता है।

14. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे

i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है  
(हैं/नहीं)

ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यो) न जान सके और उसका सहित उत्तरदायी द्वारा अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यो) के विरुद्ध की गई कार्यवाही 

ii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/ नहीं)

५. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति। स्वतंरा सि० - २.४३५ Ha.

i) अवरिथति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक चनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए ए गैर चन क्षेत्र या अवनत वन जैसे व्यौरे दें।

ii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 पक्के मूल में स्थल परंतु भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं।

v) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक रोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हाँ/नहीं)।

) क्षेत्रिपूरक दनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :  $869000 = 00$  रु.

i) क्या क्षतिपूरक बनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान रखिए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के अंदर में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं? (सही/असही)

वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के सम्बन्ध में सम्बन्धित महत्वपूर्ण राशि प्रकाश में लाने के उपर वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। (हाँ/नहीं)

स्थान - रामपाल  
लोकालय - रामपाल

22/02/2021

४५८

नाम योगी कीय मुद्रा

जिविम्

卷之三

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

१८. परियोजना या स्कीम की अवधिति

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र - २०२१-२०५५

(ii) जिला - अलीगढ़

(iii) जिला वन प्रभाग - सिविल लोपण वन भूमि अलीगढ़

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र - २०२१-२०५५ में ३०२० हेक्टेक्टर (हेक्टेक्टर में ३०२० हेक्टेक्टर की भूमि - ३०२० हेक्टेक्टर में ३०२० हेक्टेक्टर की भूमि)

१९. पूर्वक्षण के लिए पहली गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिसंख्या - ३०२० वन भूमि - १.३२७५ हेक्टेक्टर ३०२० - ०.०९७० हेक्टेक्टर

२०. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलक्ष्य वनस्पति का खोरा - चिन्ह

(i) वन का प्रकार - औषध वन

(ii) वनस्पति वन औसत पूर्ण धनत्र - ०.१

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामा - २०२१

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा - लेख नहीं

२१. भूदंतरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी - २०२१ की स्थानीय नहीं

२२. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : १००

२३. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता : नहीं

(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा : २०२१ की क्षेत्रीय वन्यजीव

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अंतर्राष्ट्रीय गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपावद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपावद्ध की जाए) नहीं

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवधित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्ध की जाए) नहीं

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे तो है। यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्ध की जाए) नहीं

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसम के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे नहीं

२४. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवधित है (यदि ऐसा है तो उपावद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) के साथ उसका व्यौरा दें) नहीं

२५. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियों दें :

i) यहा भाग- 1 के पैरा ६ और पैरा ७ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। अपरिहार्य २१-२२८८ वन्यजीव